

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 104/20-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गनसा संगी  
अघनी पंदन

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
18.11.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक गनसा संगी पिता स्व० सोमा संगी ग्राम-काटमकुकु महुवाटोली, पो०-लोधमा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने अघनी पंदन पति रमेश पंदन ग्राम-कुलहुटु, पो०-लोधमा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="272 786 1358 869"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>काटमकुकु</td> <td>158</td> <td>03</td> <td>87</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0699644082 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 802 दिनांक 13.11.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम किरशय मुण्डा वगैराह है। पंजी II के अनुसार सामु मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकबा 21.37 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.51 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 24935.00 (चोबीस हजार नौ सौ पैतीस) रू० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 3.46 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गनसा संगी पिता स्व० सोमा संगी को अघनी पंदन पति रमेश पंदन के साथ ग्राम काटमकुकु के खाता सं० 03 खेसरा संख्या 87 कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 24935.00 (चोबीस हजार नौ सौ पैतीस) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित 28/11/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">28/11/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	काटमकुकु	158	03	87	0.05	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
काटमकुकु	158	03	87	0.05								